विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
7 (क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023-24 में प्रदेश में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिये जाने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सं0 200010102101481, 200010102101112, 20001050210071 के माध्यम से आवेदन किये गये है ?	दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सत्र 2023-24 में रजिस्ट्रेशन संख्या- 200010102101481 200010102101112 के माध्यम से क्रमशः श्री सौरव गंगवार एवं श्री आलोक यादव द्वारा आनलाइन आवेदन किया गया है तथा रजिस्ट्रेशन संख्या- 20001050210071 त्रुटिपूर्ण अथवा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या उक्त आवेदन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान कर दिया गया है ?	छात्र तथा शिक्षण संस्थान द्वारा भरे गये पूर्णांक व प्राप्तांक में भिन्नता होने के कारण रजिस्ट्रेशन संख्या- 200010102101481 के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्र का जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा आवेदन स्वीकृत कर अग्रसारित न किये जाने के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा सका। रजिस्ट्रेशन संख्या-200010102101112 के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्र श्री आलोक यादव को छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 14,400.00 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 50,000.00 का भुगतान छात्र के आधारबेस्ड बैंक खाते में किया जा चुका है।
(ग) यदि हॉ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।